an>

Title: Regarding minority status of Aligarh Muslim University.

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : सभापति महोदय, लगातार हो रहे देश में, शिक्षण संस्थाओं में कुछ कम्युनिटीज के साथ भेदभाव की स्थिति पैदा की जा रही है, षड़यंत्र किया जा रहा है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मुस्लिम स्वरूप को बहाल करने संबंधित माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित एक अपील की सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल श्री मुकुल रोहतगी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के तीन सदस्यीय बेंच के सामने कहा कि सरकार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को समाप्त करने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के दो सदस्यीय बेंच के वर्ष 2005 में दिये गये निर्णय के खिलाफ भारत सरकार द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील को वापस लेना चाहती है। यह बहुत ही शर्म की बात है। उन्होंने यह भी कहा कि वह यूपीए सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने उस हलफनामे को भी वापस करना चाहती है, जिसमें कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक अल्पसंख्यक संस्था है, जिसको संविधान की धारा 30 का संरक्षण प्राप्त है।

सभापति महोदय, मैं यहां यह बताना जरूरी समझती हूं कि इसी सदन में 1981 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 1981 पारित करके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को पुनः बहाल किया गया था, जिसको 1867 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एक पांच सदस्यीय पीठ ने अजीज पाशा केस में दुर्भाग्यवश समाप्त कर दिया था। इस एक्ट की धारा 12 में विश्वविद्यालय की परिभाषा में कहा गया कि विश्वविद्यालय से अभिप्राय भारतीय मुसलमानों द्वारा स्थापित उनकी अपनी पसंद के ऐसे शिक्षण संस्था से है, जिसका प्रारंभ मोहम्द एंग्लो आर्यन कॉलेज अलीगढ़ के रूप में हुआ था, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में इनकॉरपोरेट हुयी थी। इस एक्ट की धारा पांच में विश्वविद्यालय के दिये गये अधिकार में कहा गया कि मुख्यतः हिन्दुस्तानी मुसलमानों की तालीमी और सांस्कृतिक उन्नति के लिए काम करना है।

सभापति महोदय, यह संवेदनशील मुद्दा है और अत्यंत चिंता का विषय है कि किसी राजनीतिक दल के केन्द्र में सत्ता परिवर्तन से सदन द्वारा 1981 एक्ट के तथ्यों की रौशनी में भारत सरकार द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामा बदलने की एनडीए सरकार की जो चेष्टा है, वह निंदनीय है। अटॉर्नी जनरल द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया तर्क भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि संविधान द्वारा अल्पसंख्यकों को दिये गये अधिकारों का उल्लंघन है। धर्मनिरपेक्ष सरकार और संविधान में किसी धर्म आधारित संस्था की स्थापना की गुंजाइश नहीं है। सरकार को मालूम होना चाहिए कि धारा 30 में धार्मिक और भाषाओं दोनों तरह के अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थायें स्थापित करने और चलाने का अधिकार दिया गया है और धारा 30 में यह भी कहा गया है कि संघ इस बुनियाद में ऐड देने में कोई भी भेदभाव नहीं करेगी, संस्था की स्थापना अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा की गयी हो।

इसके साथ मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय को वेंज करने की बात सरकार एक षडयंत्र के तहत कर रही है। अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट लीडर ऋचा सिंह ने भी पेपर द्वारा कहा कि मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है कि मैं आत्महत्या करूं।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please do not mention any name.

श्रीमती रंजीत रंजन: कभी हैदराबाद में होता है कभी जामिया में होता है कभी जेएनयू में होता है। यह शिक्षण संस्थाओं में किस तरह का अटैक है और क्यों कुछ कम्युनिटी को टारगैट किया जा रहा है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि अगर ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की मुस्लिम संस्था को रद्द करते हैं तो यह पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में निंदनीय होगा।